निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या –78 / 2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 11 / 07 / 2024
निर्णय दिनांक – 18 / 11 / 2024

अनवान

1. चम्पालाल पिता धुकलचन्द जाति महाजन निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी कालागुन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. पन्नालाल पिता मोहन जाति ब्राहमण निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. सम्पतलाल पिता रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. मांगीलाल पिता वरदीचन्द्र जाति खटीक ईशरमण्ड तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया कि ग्राम ईशरमण्ड पटवार हल्का ईशरमण्ड तहसील देवगढ़ की सीमा में प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 669 के खसरा संख्या 11, 89, 90, 91, 92, 93, 94 कुल किता 07 कुल रकबा 2.2900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसके प्रमाण में चालू जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 1 मे वर्णित खसरा संख्या की भूमि की अब तक प्रार्थी ने

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

पत्थरगढ़ी नहीं कराई है। यह कि मौके पर प्रार्थी की इस प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जानी आवश्यक है। प्रार्थी की जमीन के पास अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04 पड़ौसी है अप्रार्थी संख्या 01 महेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह ने अभी हाल ही में जमीन से खरीद की है एवं वो अब मौके पर सीमा का विवाद कर रहे है। जिससे भविष्य में भी सीमा का विवाद बना रहेगा इस लिये स्थाई रूप से विवाद सीमा सम्बन्धी समाप्त हो जये इसलिये मौके पर आराजीयात कि पत्थरगढ़ी कराना अति आवश्यक हो गया है ताकि फसल बुवाई करते समय व कटाई करते हुये कोई विवाद न हो। समस्या का स्थाई समाधान प्रार्थी की उक्त जमीन की पत्थरढ़ी कराने से ही हल हो सकता है। अप्रार्थी संख्या 01 का यही कहना है कि तुम अपनी जमीन की पत्थरगढ़ी करा लो और पत्थरगढ़ी से तुम्हारी जमीन की जो सीमा कायम होगी उससे हम लोग पाबन्द रहेगे जिससे भी प्रार्थी को अपनी उक्त जमीनों की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। खातेदार तेजमल पिता धुकलचन्द एवं भूपेन्द्र पिता भंवरलाल खातेदार है जिनकी उक्त प्रार्थना पत्र में सहमति है एवं उनकी सहमति से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। खातेदार मीना पुत्री भंवरलाल, सुन्दरबाई पत्नि भंवरलाल एवं सीता पुत्री भंवरलाल ने दिनांक 20.05.2024 को रजिस्टर्ड हकत्यागनामा(रिलीजडीड) भूपेन्द्र पिता भंवरलाल के पक्ष में करवा दिया है जिसका नामान्तरण भरा जाना शेष है। हकत्यागनामा हो जाने से उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 से सीमा संबंधी कोई विवाद नहीं है मात्र भूमि कि पड़ौसी होने से उक्त प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कारण अन्त में दिनांक 20.05.2024 को स्थान ग्राम ईशरमण्ड पटवार सर्कल ईशरमण्ड तहसील देवगढ़ में प्रार्थी की उक्त जमीन की सीमा संबंधी विवाद करने से ग्राम अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ में पैदा हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र कि कलम संख्या 1 की ईशरमण्ड पटवार सर्कल ईशरमण्ड तहसील देवगढ़ की सीमा में प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 669 के आराजी संख्या 11, 89, 90, 91, 92, 93, 94 कुल किता 07 कुल रकबा 2.2900 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी जरिये नपती नियमानुसार मौके पर नायब तहसीलदार साहब देवगढ़ को भिजवाया जाकर कराई जावें।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 व 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के निर्देश दिये गए।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ईशरमण्ड पटवार हल्का ईशरमण्ड तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता संख्या 669 के खसरा संख्या 11, 89, 90, 91, 92, 93, 94 कुल किता 07 कुल रकबा 2.2900 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे / रकबा कम / ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18 / 11 / 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)